राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट 1993-94

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1 — 5
2.	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यकरण	6 — 8
3.	शैक्षिक सुरक्षण	9 — 20
4.	अ०जा० और अ०ज०जा० का आर्थिक विकास	21 — 33
5.	भूमि	34 — 57
6.	सेवा सुरक्षण	58— 83
7.	अ०जा० और अ०ज०जा० पर अत्याचार	84—104
8.	विविध सुरक्षण	105—109

सत्यमेव जयते

एच. हनुमनथप्पा, बी.ए., बी.एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

फोन कार्यालय : 4632298, 4620435
निवास : 3782056, 3385460

राष्ट्रीय आयोग
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति,
भारत सरकार
लोकनायक भवन (पाँचवीं मंजिल), नई दिल्ली-110 003
निवास : 5-ए बी, पंडारा रोड़, नई दिल्ली-110 003

10 जुलाई, 1996

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 1993-94 की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ । यद्यपि यह रिपोर्ट पहले आयोग द्वारा तैयार की गई थी, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी । अतः इस आयोग द्वारा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संवैधानिक दायित्व का पालन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और उसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से संबंधित सुरक्षात्मक तथा निवारक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं । तथापि, विभिन्न प्रतिबंधों के कारण, आयोग ने अपनी गतिविधियां शिकायतों तक सीमित रखीं जिनमें से अधिकांशतः अत्याचार और सेवा सुरक्षणों को नकारने/का उल्लंघन करने जैसे विषयों से संबंधित होती हैं । अतः आयोग की गतिविधियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को प्राधिकारियों के साथ उठाने, हत्या, बलात्कार, घरों और सम्पत्ति को आग लगाने तथा गंभीर चोटों आदि जैसे जघन्य अपराधों की मौके पर जांच करने आदि पर बहुत जोर दिया गया है । आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा ध्यान में लाए गए अत्याचारों के मामलों में 44 क्षेत्रीय जांच की गई । आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशें उपयुक्त स्तर के संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं ।

राष्ट्रीय आयोग की यह रिपोर्ट भूमि सहित उपर्युक्त पहलुओं पर प्रकाश डालती है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं की एक झलक दर्शाती है ।

स्टाफ की कमी के बावजूद, वर्तमान आयोग, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है, ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और ऐसे उपायों का प्रस्ताव किया

.....2/-

फोन कार्यालय : 4632298, 4620435
निवास : 3782056, 3385460

सत्यमेव जयते

एच. हनुमनथप्पा, बी.ए., बी.एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

राष्ट्रीय आयोग
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति,
भारत सरकार
लोकनायक भवन (पाँचवीं मंजिल), नई दिल्ली-110 003
निवास : 5-ए बी, पंडारा रोड़, नई दिल्ली-110 003

है जो उसे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सहायता देगा । आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों तथा केन्द्र/राज्य-सरकारों द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों/नियमों/अनुदेशों का संकलन करने का प्रस्ताव करता है। आयोग में एक डाटा बैंक का सृजन करने के लिए कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उसे एन·आई·सी· नेटवर्क के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ने का भी प्रस्ताव है । आयोग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने, निधियों के आबंटन और वितरण तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए एक पूर्ण आर्थिक प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु कार्रवाई कर रहा है । आयोग का यह भी प्रयास होगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी नीतिगत न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सभी राज्य मुख्यालयों में एक निशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए । आयोग, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को परेशान करने, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने और सरकारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए, जिम्मेवार अधिकारियों पर जिम्मेवारी निश्चित करने के लिए भी भरपूर प्रयास करेगा ।

भवदीय,

एच. हनुमनथप्पा.

(एच0 हनुमन्तप्पा)

डा0 शंकर दयाल शर्मा
भारत के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली